all of whom are not necessary unemployed, on the Live Register of the Employment Exchanges has shown a marginal increase during the last three years.

(b) The State-wise increase in number of employment exchanges between December 1994 and December 1997 which are the latest available are given in the statement *{see below)*

Statement

State-wise increase in Number of Employment Exchanges/University Employment Information & Guidance Bureaux during Dec, 1994 and Dec, 1997

State/Union Territory	Increase (in Numbers)
1	2
Andhra Pradesh	-4
Arunachal Pradesh	7
Assam	0
Bihar	0
Goa	0
Gujarat	-3
Haryana	4
Himachal Pradesh	0
Jammu & Kashmir	0
Karnataka	3
Kerala	20
Madhya Pradesh	1
Maharashtra	0
Manipur	0
Meghalaya	0
Mizoram	0
Nagaland	0
Orissa	2
Punjab	0
Rajasthan	7
Sikkim	*
Tamilnadu	1
Tripura	0
Uttar Pradesh	4
West Bengal	0
A & N Islands	0
Chandigarh	0
Dadra & N. Haveli	0
Daman & Diu	1
Delhi	0
Lakshadweep	0
Pondicherry	0
ALL INDIA	43

Note : (*) No exchange is functioning m the state.

देश में बाल श्रमिक

4356. **श्री अखिलेश दास**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे उद्योग कौन-कौन से हैं जिनमें विशेष रुप से बाल श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या उन्हें अनेक वेतनमान एवं विहित अधिकार प्राप्त है, और

(ग) सरकार ने बाल श्रम को कम करने या इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 1991 की जनगणना मुख्य औद्योगिक श्रेणियों में बच्चों के नियोजन के बारे में सूचना प्रदान करती है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत से अधिक काकाजी बच्चे कृषि और संबंधित रोजगारों जैसे जोतना, कृषि श्रमिक, पशुधन, विनिकी, मत्स्य पालन और खनन आदि में कार्यरत हैं।

(ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन की दगशाओं को अधिनियम के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। अधिनियम में वेतनमानों और निर्धारित अधिकारों का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। बाल श्रम से संबंधित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के अलावा जोखिमकारी व्यवसायओं में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने उपाए किये हैं। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास के लिए अगस्त, 1994 में एक प्रमुख कार्यकर्म की घोषणा की गई थी। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए अब तक 76 बाल श्रम परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था। न्यायालय ने अनपे 10.12.96 के निर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा मुआवजे का भुगतान करने सहित अनेक निर्देश दिये हैं। इन निर्देश को कार्यन्वित करने के लिए सरकार ने अब तक अनेक कदम अठायें हैं।

लम्बित श्रम विचार मामले

4357. **श्री अनन्तराय देवशंकर दूवे**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में इस समय श्रम विवाद संबंधी कुल